न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./78/2024

1. रामजीलाल पुत्र बिहारी
2. मछला पुत्री बिहारी
3. प्रवेश पुत्र मवासी
4. मानसिहं पुत्र सिरिया
5. रामवीर पुत्र सिरिया

} जातियान जाटव, निवासीयान ग्राम बहरावली तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1. वीरेन्द्र सिहं पुत्र श्री नत्थीसिहं
2. रणजीत सिहं पुत्र हुव्वलाल
3. रविन्द्र सिहं पुत्र चन्दनसिहं

} अकवाम जाट, निवासीयान ग्राम मदरियापुरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार उच्चैन
5. भू प्रबन्ध अधिकारी, सेटलमेन्ट भरतपुर

.....तरतीवी अप्रार्थी0

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रकरण संख्या 24/2023 शीर्षक वीरेन्द्र सिहं वगै0 बनाम राज0 सरकार वगै0।

उपस्थितः—
1—श्री विकास शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी,
2—श्री मोहन सिहं राना अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 23.04.2025

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ एस.डी.ओ. उच्चैन इस आशय का पेश किया गया है, जो संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक दावा अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रकरण संख्या 24/2023 शीर्षक वीरेन्द्र सिहं वगै0 बनाम राज0 सरकार वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन में विचाराधीन है। प्रकरण में प्रार्थी का कहना है कि अप्रार्थी वीरेन्द्र सिहं का भाई धर्मेन्द्र उच्चैन में ही वकालत का कार्य करता है। धर्मेन्द्र ने प्रार्थीगण को दिनांक 27.09.2024 को धमकी दी कि तुम इस अदालत से अपने पक्ष में कोई आदेश नहीं करवा सकते हो क्योंकि उच्चैन व रूपवास की समस्त अदालतों में मेरा कार्य है तथा सभी पीठासीन अधिकारियों से मेरी जान पहचान रहती है, मैं अपने भाई का काम अवश्य करा लूँगा। साथ ही धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो चुकी है विचाराधीन दावे का निर्णय अपने हक में ही होगा। प्रार्थी को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय एस.डी.एम.उच्चैन में विचाराधीन दावा को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी उच्चैन से टिप्पणी तलब की गई। अभिभाषक उभय पक्ष के निवेदन पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि पक्षकारान के मध्य एक दावा उपखण्ड अधिकारी उच्चैन के न्यायालय में विचाराधीन है, प्रकरण में प्रार्थी का कहना है कि अप्रार्थी वीरेन्द्र सिह का भाई धर्मेन्द्र उच्चैन में ही वकालत का कार्य करता है। धर्मेन्द्र ने प्रार्थीगण को दिनांक 27.09.2024 को धमकी दी कि तुम इस अदालत से अपने पक्ष में कोई आदेश नहीं करवा सकते हो क्योंकि उच्चैन व रूपवास की समस्त अदालतों में मेरा कार्य है तथा सभी पीठासीन अधिकारियों से मेरी जान पहचान रहती है, मैं अपने भाई का काम अवश्य करा लूँगा। साथ ही धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो चुकी है विचाराधीन दावे का निर्णय अपने हक में ही होगा। प्रार्थी को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय एस.डी.एम.उच्चैन में विचाराधीन दावा को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र मुन्तकिल में झूँठे आरोप लगाये गये हैं। प्रार्थी का उद्देश्य विचाराधीन दावा को देरीना करने का है, प्रार्थी दावा का निस्तारण नहीं होने देना चाहता हैं। ग़ल्त तथ्यों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करना उसकी रेमेडी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रार्थी का मुख्य कथन है कि अप्रार्थी का भाई उच्चैन में ही वकालत का कार्य करता है। इसलिए उसको न्याय मिलने पर शंका है। इस सम्बन्ध में हमारी विनम्र राय यह है कि कोई भी न्यायालय मैरिट पर पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करता है। वकील का रौल केवल बहस करने का होता है। इसलिए हम प्रार्थी के इस कथन से सहमत नहीं हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्डाधिकारी उच्चैन को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर